


कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ/मु0/अलोसूअ/सचिव/2018/ 25 दिनांक: 15.05.2018 व 26/22.05.2018 के द्वारा विभिन्न आगारों के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत की जानी वाली अपीलों की सुनवाई में श्रीमति अनिता बडसीवाल कार्यकारी प्रबंधक (शिकायत) को प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया था ।


उक्त दोनों आदेश क्रमांक एफ/मु0/अलोसूअ/सचिव/2018/ 25 दिनांक: 15.05.2018 व आदेश क्रमांक एफ/मु0/अलोसूअ/सचिव/2018/26 दिनांक 22.05.2018 में आंशिक संशोधन करते हुये आदेशों में वर्णित आगारों के लिये कार्यकारी प्रबंधक (शिकायत) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया जाता है। शेष लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी यथावत रहेंगे।


(सांवरमल वसु) सं
प्रबंध निदेशक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

क्रमांक एफ/मु0/अलोसूअ/सचिव/2018/ 67 दिनांक: 12-11-2018

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव-गृह(गुप-6) राजस्थान सरकार जयपुर।
3. शासनसचिव (परिवहन) राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. आयुक्त राजस्थान सूचना आयोग, ओटीएस के पीछे, झालाना लिंक रोड, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
7. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक रापनिगम मुख्यालय जयपुर।
8. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन), रापनिगम, मुख्यालय जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रापनिगम मुख्यालय जयपुर।
10. कार्यकारी निदेशक (याता/यांत्रिक/विधि) मुख्यालय जयपुर।
11. महाप्रबंधक (याता/कय भंडार/टायर/गुणवत्ता/बस बॉडी/प्रशिक्षण/दुर्घटना) रारापप निगम मुख्यालय जयपुर।
12. उप महाप्रबंधक (प्रशासन) रारापप निगम, मुख्यालय जयपुर।
13. कार्यकारी प्रबंधक (सम्पति/विज्ञापन) रारापप निगम मुख्यालय जयपुर।
14. सचिव निगम, रारापप निगम, मुख्यालय जयपुर।
15. मुख्य उत्पादन प्रबंधक / मुख्य प्रबन्धक, रारापप निगम.....
आगार/केयर टेकर जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की प्रति कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें एवं बोर्ड पर लिखवावें।
16. कार्यकारी प्रबंधक (शिकायत) यातायात शाखा, रारापप निगम मु. जयपुर।
- ✓ 17. उप महाप्रबंधक (आई.टी.) रारापप निगम मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को निगम की वेबसाईट पर डालकर इस कार्यालय को सूचित करें।
18. आदेश पत्रावली।


(मेघराज सिंह रतन)
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)